

**शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।**  
**31/62, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।**

**—सूचना—**

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा विश्वविद्यालयों, स्कूलों तथा तकनीकी संस्थानों के मध्य प्रतिस्पर्धा आमंत्रित की जा रही है जिसमें शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड व Clean Himalayan Hill Cities Initiative से सम्बन्धित प्रतीक चिन्ह (Logo) / टैग लाईन तथा Clean Himalayan Hill Cities Initiative से सम्बन्धित विभिन्न प्रचार-प्रसार सामग्री (IEC) के डिजाइन तैयार किये जाने हैं, जिस हेतु सेवा शर्तें निम्नवत रहेगी:-

**1 शहरी विकास विभाग तथा Clean Himalayan Hill Cities Initiative से सम्बन्धित आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (Logo) हेतु शर्तें**

- प्रतीक चिन्ह (Logo) पूर्णतः मौलिक (Original) होना आवश्यक है।
- शहरी विकास विभाग के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (Logo) में विभागीय संरचना, विभागीय उत्तरदायित्वों एवं स्वच्छता को प्रदर्शित किया जा सकता है।
- "क्लीन हिल हिमालयन सिटी" का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (Logo) स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को बढ़ावा तथा थीम आधारित हो।
- प्रतीक चिन्ह (Logo) में हिमालय, प्रकृति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कचरा पृथक्करण अथवा उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया जा सकता है।
- शहरी विकास विभाग तथा Clean Himalayan Hill Cities Initiative का प्रतीक चिन्ह अलग अलग होना अनिवार्य होगा।
- प्रतीक चिन्ह रंगीन (Colour) एवं ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में प्रभावी दिखाई देना चाहिए।
- डिजाइन Vector (AI/EPS/SVG/CDR) अथवा High Resolution PNG/PDF (300 DPI) में प्रस्तुत किया जाए।
- प्रतीक चिन्ह A4 आकार में स्पष्ट रूप से प्रिंट होने योग्य होना चाहिए।
- प्रतीक चिन्ह में अधिकतम 4-5 रंगों का प्रयोग वांछनीय होगा।
- प्रतीक चिन्ह के साथ अधिकतम 150 शब्दों में Concept Note संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**2 टैग लाईन (Tagline) हेतु सेवा शर्तें:-**

- शहरी विकास विभाग तथा Clean Himalayan Hill Cities Initiative से सम्बन्धित टैगलाइन हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी।
- टैगलाइन अधिकतम 10 शब्दों तक होगी।
- टैगलाइन अर्थपूर्ण, सरल, प्रभावशाली एवं जनसामान्य द्वारा आसानी से याद रखी जा सके।
- टैगलाइन किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अभियान से मिलती-जुलती नहीं होनी चाहिए।
- टैगलाइन के साथ अधिकतम 100 शब्दों में उसका औचित्य (Justification) प्रस्तुत किया जाए।

**3 Clean Himalayan Hill Cities Initiative से सम्बन्धित विभिन्न आई0ई0सी0 सामग्री के Design हेतु सेवा शर्तें:-**

- प्रतिभागी प्रचार प्रसार सामग्री को पोस्टर, सोशल मीडिया क्रियेटिव, पैम्फलेट तथा फ्लैक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- प्रचार प्रसार सामग्री को High Resolution PNG/PDF (300 DPI) में प्रस्तुत करना होगा।
- Colour Mode : CMYK
- Editable File : AI/CDR/PSD अथवा PDF Font पूर्णता पठनीय हो।
- भारतीय भाषाओं में Unicode Font का उपयोग वांछनीय होगा।
- प्रचार प्रसार सामग्री हिन्दी, अंग्रेजी तथा उत्तराखण्ड की स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करनी होगी।

**4 अन्य सेवा शर्तें:-**

- सभी प्रविष्टियाँ पूर्णतः मौलिक (Original) होनी चाहिए।
- AI आधारित डिजाइन स्वीकार्य हैं, किन्तु उनमें प्रतिभागी का मौलिक रचनात्मक योगदान होना आवश्यक है।
- किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री स्वीकार्य नहीं होगी।
- किसी अन्य प्रतियोगिता में पुरस्कृत अथवा प्रकाशित प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं होगी।
- चयनित प्रविष्टियों का सम्पूर्ण कॉपीराइट एवं उपयोग अधिकार शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
- विभाग चयनित डिजाइन में आवश्यक संशोधन करने हेतु स्वतंत्र होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी इस संबंध में विभाग के निर्णय को अंतिम एवं बाध्यकारी मानेंगे।
- अपूर्ण अथवा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप न होने वाली प्रविष्टियाँ निरस्त की जा सकती हैं।
- निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- कॉपीराइट परिलक्षित होने पर समस्त कानूनन जिम्मेदारी प्रतिभागी की होगी।
- प्रतिभागी को प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने से पूर्व शहरी विकास निदेशालय के ऑफिशियल ई-मेल—[sbm.iec.udd@gmail.com](mailto:sbm.iec.udd@gmail.com) पर दिनांक-05 नवम्बर 2026 तक आवेदन पत्र भरकर आवश्यक जानकारी यथा प्रतिभागी/स्कूल/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान का नाम व पता, व्यक्तिगत पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल/कक्षा व पाठ्यक्रम का नाम तथा एक व्यक्तिगत आई0डी0 प्रेषित करनी होगी।
- प्रतिभागी को प्रतीक चिन्ह का प्रारूप, टैग लाईन तथा प्रचार प्रसार/आई0ई0सी0 सामग्री को शहरी विकास निदेशालय के ऑफिशियल ई-मेल [sbm.iec.udd@gmail.com](mailto:sbm.iec.udd@gmail.com) पर दिनांक-20 नवम्बर 2026 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- प्रतीक चिन्ह टैग लाईन तथा आई0ई0सी0 सामग्री के चयन उपरान्त समस्त अधिकार/संशोधन/प्रयोग/किसी भी प्रकार के बदलाव शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में रहेगा, इस हेतु चयनित प्रतिभागी तथा विभाग के मध्य अनुबन्ध करना होगा।
- चयनित प्रतिभागी को शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा सम्मानित किया जायेगा।